Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ अमरसर में पुलिस परिवाद को रफादफा करने की एवज में 40,000/– रुपये रिश्वत लेते दलाल व हेड कांस्टेबल गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 01 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा आज ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी **राकेश कुमार मीणा, सेल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, अमरसर, जयपुर ग्रामीण (प्राईवेट व्यक्ति/दलाल) एवं रतन लाल आर्य, हैड कांस्टेबल नं. 520, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण** को **40,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर इकाई को एक लिखित शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के विरुद्ध पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज परिवाद को रफादफा कर परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट बनाने की एवज में आरोपी रतन लाल आर्य, हैड कांस्टेबल (नं. 520) द्वारा 50,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरविजन में **श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी रतन लाल आर्य, हैड कांस्टेबल द्वारा 50,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 40,000/– रुपये लेने पर सहमति व्यक्त करना पाया गया।

आज ट्रेप कार्रवाई के दौरान आरोपी राकेश कुमार मीणा, सेल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, अमरसर, जयपुर ग्रामीण ने आरोपी रतन लाल आर्य, हैड कांस्टेबल के लिए परिवादी से 40,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की, जिस पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात आरोपी रतन लाल आर्य, हैड कांस्टेबल नं. 520 को डिटेन कर पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में आरोपीगणों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्रवाई जारी है।

ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834** पर **24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।